



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2010/माघ 1, 1931
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 45(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 24 फरवरी, 2009 पर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 115(अ), तारीख 24 फरवरी, 2009 के अधीन प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 27 फरवरी, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

264 GI/2010

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 43क में “चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, कोचीन, न्हावा शेवा और कांडला : समुद्र द्वारा भारत में आयातित औषधि की बाबत” शब्दों के स्थान पर, “चेन्नई, कोलकाता, मुम्बई, कोचीन, न्हावा शेवा और कांडला और इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद और पटपडगंज, दिल्ली : समुद्र द्वारा भारत में आयातित औषधि की बाबत” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एक्स-11014/8/2008-डीएफक्यूसी]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : 30 जून, 2005 तक यथा संशोधित मूल नियम, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 पर भारत सरकार के प्रकाशन पीडीजीएचएस-93 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन, सा.का.नि. 917(अ) तारीख 22-12-2009 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2010

G.S.R. 45(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945,

(1)

was published, as required by Sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), with the Notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), No. G.S.R. 115(E), dated the 24th February, 2009 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 24th February, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on; 27th February, 2009.

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sections 12 and 33 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely :—

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (1st Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 43-A, for the words “Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva and Kandla : in respect of drugs imported by sea into India.”, the words “Chennai, Kolkata, Mumbai, Cochin, Nhava Sheva , Kandla and Inland Container Depots at Tuglakabad and Patparganj, Delhi : in respect of drugs imported by sea into India.” shall be substituted.

[F.No. X.11014/8/2008-DFQC]

VINEET CHAUDHRY, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rule as amended up to the 30th June, 2005 have been published in the Government of India publications PDGHS-93 on the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and last amended *vide* G.S.R. 917(E), dated 22nd December, 2009.